



KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND), INDIA

Office: 05942-236856 (Extn-328), Mobile CAO-Research: 9719919043, Fax: 05942-235213

Email: caoresearchku@gmail.com & sriccku@gmail.com, Website: www.kunainital.ac.in

### Research Section

आज दिनांक 25-11-2020 को शोध सलाहकार समिति की बैठक, कुमाऊँ विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित की गयी। जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित थे।

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 1-  | प्रो० एन०के० जोशी, कुलपति   | - अध्यक्ष |
| 2-  | श्री के०आर० भट्ट, कुलसचिव   | - सदस्य   |
| 3-  | श्री एल०आर० आर्या, वित्त अधिकारी  |           |
| 4-  | प्रो० एल०एम० जोशी, निदेशक, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल                     |           |
| 5-  | श्री प्रकाश पाण्डे, सदस्य, कार्य परिषद, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।       |           |
| 6-  | श्री कैलाश जोशी, सदस्य, कार्य परिषद, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।          |           |
| 7-  | श्री अरविन्द पड्डियार, सदस्य, कार्य परिषद, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।    |           |
| 8-  | प्रो० अतुल जोशी, वाणिज्य, संकायाध्यक्ष, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।       |           |
| 9-  | प्रो० एस०सी० सती, संकायाध्यक्ष विज्ञान, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।       |           |
| 10- | प्रो० राजीव उपाध्याय, निदेशक आई०क्य०ए०सी०, कु०वि०वि० नैनीताल।           |           |
| 11- | प्रो० विजयरानी ढोडियाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा                            |           |
| 12- | प्रो० संजय पंत, निदेशक, डी०आई०सी०, कु०वि०वि० नैनीताल।                   |           |
| 13- | प्रो० आशीष तिवारी, संयुक्त निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी० कु०वि०वि० नैनीताल।   |           |
| 14- | प्रो० एम०एस० मावडी, संकायाध्यक्ष, चित्रकला, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।   |           |
| 15- | डा० महेश चन्द्र आर्या, सहायक निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी० कु०वि०वि० नैनीताल। |           |
| 16- | प्रो० आर०सी० जोशी, भूगोल विभाग, डी०एस०बी० परिसर, नैनीताल।               |           |
| 17- | प्रो० ललित तिवारी, निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी०, कु०वि०वि० नैनीताल।          |           |
| 18- | डा० युगल जोशी, सूचना वैज्ञानिक, कु०वि०वि० नैनीताल।                      |           |

सभा के आरम्भ में कुलपति जी द्वारा संबोधन द्वारा किया गया। मा० कुलपति जी ने कुमाऊँ विश्वविद्यालय में आई०पी०आर० सैल नहीं होने पर चिंता व्यक्त की। कुलपति जी ने अपने संबोधन में कुमाऊँ विश्वविद्यालय में शोध का स्तर उपर उठाने के लिये तीन बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये।

- 1- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्राध्यापक (Faculty Members) द्वारा कम से कम एक शोध पत्र SCI/Scopus/Web of Science/UGC Care list में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।
- 2- उच्च गुणवत्ता युक्त शोध हेतु शोध निर्देशकों द्वारा Patent हेतु आवेदन किया जाना चाहिये।
- 3- प्रत्येक वर्ष प्रत्येक प्राध्यापक (Faculty Members) द्वारा कम से कम एक अनुदान एंजेंसी को अनुदान हेतु Research Proposal जमा करना अनिवार्य होगा।
- 4- प्रत्येक विभाग Consultancy हेतु प्रयास करें।

Plagiarism Gage No. 1

शोध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25-11-2020 का कार्यवृत्त

1- विगत विश्वविद्यालय शोध सलाहकार समिति की बैठक दि० 28-11-2019 का अनुमोदन।

**निर्णय :** कुलपति जी द्वारा समिति का अनुमोदन किया गया, पिछली सलाहकार समिति के कार्यवृत्त का सभी समिति के सदस्यों को समिति की बैठक से पहले प्रेषित किये जाने के आदेश दिये गये हैं।

2- य०जी०सी० एवं विश्वविद्यालय नियमानुसार पी०-एचडी० प्रवेश हेतु 70 अंक लिखित तथा साक्षात्कार हेतु 30 अंक निर्धारित है, इस संदर्भ में पूर्व की आर०ए०सी० में 70 लिखित /30 साक्षात्कार रखा गया है। इसे 80 लिखित तथा 20 साक्षात्कार प्रस्तावित किये जा रहे हैं। तथा इसे वर्ष 2021-22 में लागू किया जायेगा। तथा नियमानुसार साक्षात्कार JRF NET/इन्सपायर/प्राध्यापक को भी देना होगा। केवल लिखित में पास होने पर ही मौखिकी परीक्षा में आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार हेतु गठित समिति में संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष (संयोजक), शोध निदेशक प्रतिनिधि तथा मा० कुलपति जी द्वारा नामित अंतर के विषय विशेषज्ञ होगें तथा प्रत्येक सदस्य को एक हजार मानदेय दिया जायेगा।

**निर्णय :** संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष (संयोजक), शोध निदेशक प्रतिनिधि को मानदेय देय नहीं होगा। बाह्य विशेषज्ञ को रु० 2,000/- मानदेय एवं यात्रा भत्ता देय होगा, यदि विषय विशेषज्ञ आतंरिक होते हैं उन्हे कोई मानदेय नहीं देय होगा, साक्षात्कार 30 का तथा लिखित परीक्षा 70 अंक की होगी, साक्षात्कार हेतु प्रस्तावित समति अनुमोदित की जा सकेगी।

3- शोध में बेहतर कार्य करने वाले शोधार्थी सम्मानित किये जायेंगे। इस कार्य हेतु जिन शोधार्थियों का एक वर्ष में कुल इम्पैक्ट फैक्टर 10 (दस) होगा उन्हें सम्मानित किया जायेगा, यह पुरस्कार केवल कुमाऊँ विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिये ही लागू होगा का अनुमोदन।

**निर्णय :** अनुमोदन किया गया इसके आलावा कार्य परिषद सदस्यों द्वारा ऐसे शोधार्थियों जिनके पास फैलोशिप नहीं है, उन्हे विश्वविद्यालय द्वारा फैलोशिप दिये जाने पर शासन स्तर पर प्रस्ताव वित्त हेतु प्रेषित किया जायेगा। सभी शोधार्थियों को विभागीय स्तर पर छः माह की अपनी शोध प्रगति आख्या प्रस्तुत करनी होगी। विभिन्न विभागों में शोधरत् जे०आर०एफ० एवं पी०डी०एफ० को नियमानुसार कक्षायें पढ़ानी अनिवार्य होगी।

4- प्री०-पी०एचडी० परीक्षा के संयोजक एवं शोध निर्देशक अपना पाँच व्यक्तियों का पैनल विश्वविद्यालय को प्रेषित कर सकते हैं जिससे मूल्यांकन कार्य समय से हो सकेगा। शोध प्रबन्ध जमा करने के उपरांत नामित विशेषज्ञों द्वारा 15 दिनों में सहमति देनी होगी तथा मूल्यांकन का अधिकतम समय एक माह होगा। शोध ग्रन्थ मूल्यांकन की एक आख्या सकारात्मक तथा द्वितीय आख्या रिवीजन होने पर अभ्यर्थी को रिवीजन हेतु शोध निर्देशक के माध्यम से बगैर विशेषज्ञ के नाम सहित भेजी जायेगी तथा विशेषज्ञ द्वारा नकारात्मक निर्णय देने पर ही तृतीय विशेषज्ञ को भेजी जायेगी तथा तृतीय विशेषज्ञ का निर्णय अंतिम होगा। रिवीजन होने पर अभ्यर्थी को शोध ग्रन्थ के साथ रु० 5,000/- की धनराशि का शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, यही व्यवस्था डी०-एससी०, डी०-लिट० के तीन बाह्य विशेषज्ञों की सकारात्मक आख्या पर भी लागू होगी।

**निर्णय :** स्वीकृत के साथ अनुमोदन किया गया, यदि शोध निर्देशक द्वारा मौखिकी परीक्षा को सम्पन्न नहीं करवाये जाने पर संयोजक द्वारा मौखिकी परीक्षा सम्पन्न की जायेगी (शोधार्थी द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त होने के उपरांत) डी०लिट० के आवेदन की स्कीनिंग परीक्षा हेतु एक समिति का गठित की जायेगी, जिसमें तीनों संकायाध्यक्षों एवं निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी० सदस्य होंगे। डी०लिट० हेतु समिति द्वारा एक अहंता निर्धारित की जायेगी।

2

- 5— पी०एचडी० / डी०-एससी० एक विषय में एक अभ्यर्थी द्वारा एक बार ही की जा सकेगा तथा द्वितीय बार करने के लिये अभ्यर्थी को दूसरे विषय में एम०ए० / एम०-एससी०/ एम०-कॉम० र्नातकोत्तर विषय से विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। डा० सत्यदेव, संस्कृत, डी०लिट० द्वारा एक बार डी०लिट० उपाधि प्राप्त की जा चुकी है तथा द्वितीय बार उसी विषय पर डी०लिट० नहीं कर सकते हैं का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

- 6— पी०-एच०डी० प्रवेश परीक्षा में पर्यवेषक का मानदेय रु० 2,000/- तथा कक्ष निरीक्षक का रु० 500/- तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष का रु० 2,000/- तथा सहायक केन्द्राध्यक्ष का रु० 1,500/- करने हेतु अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित मानदेय : पी०-एच०डी० प्रवेश परीक्षा में पर्यवेषक का मानदेय रु० 1,500/- तथा कक्ष निरीक्षक का रु० 500/- तथा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष का रु० 1,500/- तथा सहायक केन्द्राध्यक्ष का रु० 1,200/-

- 7— शोध मूल्यांकन में मौखिकी परीक्षा का मानदेय विशेषज्ञ/शोध निर्देशक का रु० 1,500/- निर्धारित मानदेय मिलेगा तथा शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु मानदेय रु० 2,000/- तथा डी०-एससी०/डी०-लिट० हेतु मौखिकी रु० 2,000/- तथा मूल्यांकन रु० 2,500/- निर्धारित करने एवं मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करने पर विभागाध्यक्ष को भी रु० 1,500/- निर्धारिण मानदेय मिलेगा का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

- 8— शोध अभ्यर्थी को Soft copy CD अथवा DVD में शोध ग्रन्थ एवं शोध रूपरेखा जमा करनी होगी, जिसमें मूल्यांकन में सरलता आयेगी का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित साथ ही Provisional Degree शोधार्थी को तभी प्रदान की जायेगी, जब उसका शोध प्रबन्ध शोध गंगा में प्रकाशित किया जायेगा। सूचना वैज्ञानिक द्वारा द्वारा शोधार्थी द्वारा जमा किये गये शोध प्रबन्ध को मुख्य मौखिकी परीक्षा के दो दिन के अन्दर शोध गंगा में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

- 9— जिन शोध निर्देशक के पास प्रोजेक्ट हैं, उन्हे शोध कार्य हेतु फील्ड जाने तथा अन्य शोध कार्य हेतु माननीय कुलपति जी की अनुमति से 10 दिन का अतिरिक्त कार्यावकाश देय होगा।

निर्णय : अनुमोदित 20 दिन का अतिरिक्त कार्यावकाश देय होगा, परन्तु शोध निर्देशक को कार्यावकाश के दौरान अपनी कक्षाओं के सुचारू संचालन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

- 10— सभी विभाग अनिवार्य रूप से वर्ष में एक बार शोध समिति की बैठक आवश्यक रूप में आयोजित करेगे।

निर्णय : अनुमोदित।

- 11— कंसलटेंसी को बढ़ावा देने हेतु मानदेय पर 60/40 अनुपात में होगा जिसमें 40 प्रतिशत धनराशि विश्वविद्यालय को देनी होगी।

निर्णय : अनुमोदित।

- 12— पी०-एचडी० / डी०-लिट० तथा डी०-एससी० की समर्त शुल्क धनराशि को शोध प्रसार के खाते में जमा करा जायेगा।

निर्णय : अनुमोदित।

- 13— शोध सम्बन्धी गोपनीय फाइलो का सीधे कुलपति जी को प्रेषित करेगे।

निर्णय : अनुमोदित।

14— पी०एचडी० शोध ग्रन्थ जमा करने का शुल्क वर्तमान रु० 12,500/- से बढ़ाकर रु० 15,000/- करने तथा डी०-एससी० /डी०-लिट० हेतु रु० 20,000/- से बढ़ाकर रु० 25,000/- तथा अन्य शुल्क यथावत रखा जायेगा।

निर्णय : पी०एचडी० शोध ग्रन्थ जमा करने का शुल्क रु० 12,500/- तथा डी०-एससी० /डी०-लिट० हेतु रु० 20,000/- से बढ़ाकर रु० 50,000/- तथा अन्य शुल्क यथावत रखा जायेगा।

15— एक ही विभाग से शोध निर्देशक तथा सह शोध निर्देशक हो सकते तथा दो से अधिक सह शोध निर्देशक भी हो सकते हैं जिससे विभिन्न विषयों का समावेश होगा।

निर्णय : अनुमोदित साथ ही अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सह शोध निर्देशक बन सकते हैं इस हेतु उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16— शोध परियोजनाओं को रु० 25,000/- से ऊपर की क्य पर क्य समिति में वित्त अधिकारी अथवा नामित व्यक्ति /सहायक लेखाधिकारी, प्रधान अन्वेषक तथा विभागाध्यक्ष सहित समिति में तीन व्यक्ति होंगे। समिति हेतु माननीय कुलपति जी की पूर्व में अनुमति प्राप्त कराना अनिवार्य होगा का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

17— शोध निर्देशक स्नातकोत्तर महाविद्यालय के शिक्षक ही बन पायेगे, जिन्हे स्नातकोत्तर में एक वर्ष पढ़ाने का अनुभव होगा तथा छात्र पी०जी० कालेज में ही पंजीकृत होगे। वे प्राध्यापक जिन्हे एक वर्ष पी०जी० पढ़ाने का अनुभव होगा तथा स्नातक महाविद्यालय में कार्यरत होंगे, उन्हे स्नातकोत्तर महाविद्यालय से सह शोध निर्देशक लेना अनिवार्य होगा, जिसमें शोधार्थी पंजीकृत हो सके।

निर्णय : अनुमोदित (शिक्षा संकाय एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीनों संकायाध्यक्ष एवं निदेशक, एस०आर०आई०सी०सी० सदस्य होंगे, तथा यू०जी०सी० के नियम भी लागू होंगे।

18— एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण की सेंद्रियिक सहमति जहां विभिन्न विषयों के शोधार्थी आवश्यक शुल्क जमाकर अपने सैम्प्ल विश्लेषण करा सकेंगे। इस प्रस्ताव हेतु धनराशि रुसा तथा रु० 10 लाख की धनराशि शोध खाते से प्रदान की जायेगी।

निर्णय : अनुमोदित।

19— जैड० एस० आई०, कोलकत्ता (Zoological Survey of India, Kolkatta) के साथ कुमाऊँ विश्वविद्यालय के एम०ओ०यू० का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

20— शोध ग्रन्थ के साथ में प्लेजेरिज्म (नकल) का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा तथा दो शोध पत्र तथा दो समीनार प्रस्तुतीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे तथा ये शोध ग्रन्थ का भाग होंगे का अनुमोदन।

निर्णय :

शोध ग्रन्थ के साथ में 10% से कम प्लेजेरिज्म (नकल) का प्रमाण पत्र (सूचना वैज्ञानिक, कु०वि०वि० नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित) लगाना अनिवार्य होगा तथा दो शोध पत्र यू०जी०सी० UGC Care list/SCI/SCOPUS/Web of Science में प्रकाशित तथा दो समीनार प्रस्तुतीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने होंगे। जिन विषयों में UGC Care list/SCI/SCOPUS/Web of Science में रिसर्च जनरल उपलब्ध नहीं है, वहां Journal की सम्मतुल्यता हेतु एक गठित समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जिसमें संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्ष (संयोजक) सदस्य होंगे।

4

21— शोध परियोजना में Institutional charge में से 50 प्रतिशत का हिस्सा प्रधान अन्वेषक को दिया जायेगा, जिसका उपयोग इन्कार्स्डाक्वर विकास में उपयोग होगा।  
निर्णय : अनुमोदित।

22— आर०डी०सी० हेतु ₹ 2,000/- का मानदेय सयोजक/विभागाध्यक्ष को प्रदान किया जायेगा।

निर्णय : अस्वीकृत।

23— श्री टी०आर० शर्मा शोधार्थी (इतिहास) पी०-एचडी० से सम्बन्धित प्रकरण।  
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के निर्देशानुसार निर्णय लिया जायेगा।

24— डा० एस०के० गुप्ता डी०-एससी० (वन विज्ञान) से सम्बन्धित प्रकरण।  
निर्णय : विश्वविद्यालय शोध नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।

25— आर०डी०सी० कराने हेतु विश्वविद्यालय के 15 दिनों पूर्व में सूचित करना अनिवार्य होगा। इस वर्ष 2020 में माह 10 दिसम्बर, 2020 के बाद आर०डी०सी० करा सकते हैं।  
निर्णय : अनुमोदित (कोविड काल में आर०डी०सी० आंन लाइन होगी)।

26— जिन महिला अभ्यार्थियों का पंजीकरण 2012 का है तथा जिन पुरुष अभ्यार्थियों का पंजीकरण 2014 का है वे ही पंजीकरण विस्तारण हेतु आवेदन कर सकते हैं (यू०जी०सी० के नियमानुसार)। अन्य को इसकी आवश्यकता नहीं है।

निर्णय : अनुमोदित।

27— आर०डी०सी० में अनुपस्थित रहने वाले प्री०-पी०-एचडी० कोर्स पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को एक वर्ष की छूट ही अनुमन्य होगी तथा एक वर्ष पश्चात उनका प्री०-पी०-एचडी० कोर्स निरस्त माना जायेगा तथा अभ्यर्थी को ₹ 1,000/- विलम्ब शुल्क अलग से देना होगा तथा इसकी अनुमति भी लेनी होगी यही प्रक्रिया प्रवेश परीक्षा पास अभ्यार्थियों के लिये भी होगी।

निर्णय : अनुमोदित।

28— शोध अनुभाग एवं शोध प्रसार के कर्मचारियों को मानदेय विगत् वर्षों की भौति कुमाऊँ विश्वविद्यालय द्वारा दिया जायेगा।

निर्णय : अनुमोदित।

29— एस०एस०जे० परिसर, अल्मोड़ा की स्थापना के पश्चात सभी पंजीकृत शोधार्थियों के प्री० पी०एचडी० सेमीनार तथा मौखिकी परीक्षा डी०एस०बी० परिसर नैनीताल/भीमताल में सम्पन्न होगी। केवल एस०एस०जे० विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा में शिक्षा संकाय, विधि संकाय एवं मनोविज्ञान से सम्बन्धित शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा में ही सम्पन्न होगी का अनुमोदन।

निर्णय : अनुमोदित।

30— प्रोजेक्ट प्रोपोजल भेजने हेतु शोधार्थी द्वारा विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रेषित किये जा सकते हैं तथा इसकी सूचना कुलसचिव को देनी होगी तथा कुलसचिव द्वारा अग्रसारित कर बाद में भेजी जायेगी, यह व्यवस्था तत्काल भेजे जाने वाले प्रोजेक्ट में लागू होगी।

निर्णय : अनुमोदित।

31— शोध निदेशालय द्वारा वर्ष 2021 में प्रत्येक संकाय में एक विशिष्ट विशेषज्ञ का व्याख्यान आयोजित किया जायेगा। जिसमें व्याख्यान मानदेय ₹ 4,000/- होगा तथा विशेषज्ञ का T.A. एवं ₹ 2,000/- कंटीनजैन्सी में अनुमन्य होगाव्याख्यान कुलपति जी द्वारा अनुमत्य किया जायेगा।

निर्णय : अनुमोदित।

32—प्री० पी०-एचडी० सेमीनार में शोध निर्देशक को share taxi / own car से यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

निर्णय : share taxi / own car अनुमोदित।

33— शोध गुणवत्ता बढाने के लिये इस वर्ष शोध में प्रवेश लेने वाले शोधाधियों को शोध प्रबन्ध जमा करने पर दो शोध पेपर यूजी0सी0 निर्धारित जर्नल में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा तथा इसका मूल्यांकन प्री0 पीएचडी0 सेमीनार में संयोजक द्वारा किया जायेगा।

**निर्णय :** दो शोध पत्र UGC Care list / SCI / SCOPUS / Web of Science का अनुमोदित।

34— यूजी0सी0 नियमानुसार शोध ग्रन्थ जमा करने हेतु निम्नतम् सीमा तीन वर्ष निर्धारित है। तथा शोधार्थी के पश्चात प्री0 पी0-एचडी0 कोर्स वर्क की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात पंजीकरण तिथि से 24 माह अथवा दो वर्ष बाद जमा कर सकते हैं तथा इसमें कोई भी छूट नहीं दी जायेगी।

**निर्णय :** अनुमोदित, यूजी0सी0 नियमानुसार कार्यवाही होगी।

35— यूजी0सी0 नियमानुसार पी0-एचडी0 की मौखिकी परीक्षा कोविड-19 के कारण आनं लाइन सम्पादित की जा रही है तथा ये अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगी।

**निर्णय :** अनुमोदित।

36— वर्ष 2020 पी0-एचडी0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अर्थर्थी को आरक्षण सम्बन्धी प्रत्यावेदन जो प्राप्त हुए हैं उन्हे जॉचोपरांत सही होने पर कियान्वित किया जायेगा। श्री मनीष जोशी एवं गीता की पी0-एचडी0 प्रवेश परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा EWS कटेगिरी प्रदान करने पर विचार।

**निर्णय :** अनुमोदित।

37— पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम हेतु कला संकाय के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा। वर्तमान से यह विज्ञान में शामिल है।

**निर्णय :** एक समिति का गठित की जायेगी, जिसमें संकायाध्यक्ष सदस्य होंगे।

38— 29-2-2020 को हुई कार्य परिषद की बैठक में 67 पी0-एचडी0 के अनुमोदित हेतु प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका 27-11-2020 की प्रस्तावित कार्य परिषद हेतु 79 पी0-एचडी0 एवं 01 डी0-एससी0 की पुष्टि हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।

**निर्णय :** अनुमोदित।

अन्य मद :

निदेशक, डी0आई0सी0 द्वारा विश्वविद्यालय पी0-एचडी0 प्रवेश परीक्षा 2020 में प्रवेश परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों तथा सम्बन्धित संयोजकों के द्वारा किये गये संशोध/सुझाव के अन्तर्गत शोध उपाधि समिति द्वारा अन्य मद में निम्न निर्णय लिये गये।

संयोजक द्वारा निर्धारित प्रत्येक Ambigious एवं Cancel प्रश्नों में समर्त अभ्यर्थियों को एक समान 01 अंक प्रदान किया जायेगा।

जिन प्रश्नों में ब्रिटियां पायी गयी, अभ्यार्थियों के प्रत्यावेदनों के आधार पर संयोजकों द्वारा प्रश्नों का पुनर्निरीक्षण कर पूर्व में अपलोडेड कुंजी को परिवर्तित करते हुए सही उत्तर कुंजी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी गयी है।, जिसके आधार पर परीक्षाफल घोषित किया जायेगा।

बैठक के अंत में निदेशक, एस0आर0आई0सी0सी0 द्वारा सभी का धन्यबाद किया गया।

निदेशक 25/11/20  
एस0आर0आई0सी0सी0  
कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

# Magnetic susceptibility, mineral chemistry, and geothermobarometry of granitoids from Lohit Plutonic Complex, Arunachal Trans-Himalaya, Northeast India: Implications on emplacement and crystallization conditions of oxidized calc alkaline magmatic arc system

Diezeneino Meyase<sup>1</sup>  | Vikoleno Rino<sup>1</sup>  | Santosh Kumar<sup>2</sup>  | Rokozono Nagi<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Department of Geology, Nagaland University, Kohima, India

<sup>2</sup>Department of Geology, Centre of Advanced Study, Kumaun University, Nainital, India

## Correspondence

Vikoleno Rino, Department of Geology, Nagaland University, Kohima 797004, India.  
Email: [vikoleno\\_rino@yahoo.co.in](mailto:vikoleno_rino@yahoo.co.in)

## ACKNOWLEDGMENTS

This research is dedicated in the memory of Late Professor Shunso Ishihara, a doyen in the field of granite series and associated metallo-geny. At several occasions, a companion of Shunso Ishihara with fellow scientists generated sound scientific discussion on granites and related rocks, which will ever be remembered. This work is supported under a SERB research grant (No. EMR/2017/003654) awarded to Vikoleno Rino and Santosh Kumar, and Junior/Senior Research Fellowship to Rokozono Nagi in the same project. A CSIR-UGC(NET) JRF/SRF Fellowship (No. 400) to Diezeneino Meyase is gratefully acknowledged. N.V. Chalapathi Rao and Dinesh Pandit are thanked for extending the analytical help on the SERB-sponsored EPMA national facility developed at Geology Department of Banaras Hindu University, Varanasi, India. We extend our sincere gratitude to Pra-deep K. Goswami for granting permission and Pramod Khati for extending analytical help on SEM-EDAX-CL equipment installed under DST-FIST Level II programme at Department of Geology, Centre of Advanced Study, Kumaun University, Nainital, India. The generous and insightful scientific comments and suggestions from Tatsuki Tsuji-mori, Editor-in-Chief, Takeshi Iimayama, and an anonymous reviewer greatly helped to improve the earlier versions of the manuscript.

## Abstract

The Lohit Plutonic Complex (LPC) of Arunachal Trans-Himalaya represents the northeast extension of Trans-Himalayan magmatic arc system located in the north of Indus Tsangpo Suture Zone (ITSZ). Field relation, magnetic susceptibility (MS), and phase petrology on the granitoids of LPC was conducted in order to assess the granite series (magnetite, oxidized vs. ilmenite, reduced types), and physico-chemical conditions of the LPC granitoid magmas. The studied granitoids are well-exposed in the Dibang and Lohit valleys, and their MS values indicate a bi-modal patterns corresponding to ilmenite (reduced) series (71%) and magnetite (oxidized) series (29%) granites. The variation of MS in the LPC granitoids is related to the alteration of ferromagnetic minerals, and later tectonic and deformational processes that acted upon them. The amphiboles from the LPC granitoids are calcic ( $\text{Ca}_\text{B} > 1.5$ ,  $\text{Si} = 6.30\text{--}7.06 \text{ apfu}$ ) and exhibit tschermak substitutions typical to their evolution in a calc alkaline, metaluminous (I-type) felsic magmas. Al-in-hornblende rims estimate the emplacement of quartz diorite and granodiorite magmas at shallow ( $\sim 5 \text{ km}$ ) and mid ( $\sim 16 \text{ km}$ ) crustal depths. Geothermometric results point to a regime of magmatic crystallization (940–837°C for quartz diorite; 882–829°C for granodiorite) sufficiently above the solidus of respective melts. Biotites from LPC granitoids are primary to re-equilibrated, and transitional between magnesio- and ferri-biotites. Quartz diorite and granodiorite biotites evolved under oxidizing magmas ( $\log f\text{O}_2^{-14}$  to  $\log f\text{O}_2^{-13}$ ) in a temperature range of  $\sim 750\text{--}950^\circ\text{C}$ , typical to their formation in a calc alkaline magma of subduction zone environment. However, the biotites from leucogranite appear to have evolved under a mildly reducing magma environment, most likely attained in a collisional setting. The obtained results suggest that the oxidized nature of calc alkaline, subduction-related magmatic arc rocks of the LPC is largely modified and reduced by post-magmatic, and later tectonothermal and deformational events that operated during Himalayan and Trans-Himalayan orogenesis.